महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1010 / 71–4–2018–7 / 2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2018

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2018–19, हेतु नीट यू0जी0–2018 के माध्यम से एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्क्रमों में प्रवेश के लिए नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 12.06.2018 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 2391 दिनांक 18.06.2018 तथा पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / दिनांक 19.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–973 / 71–4–2018–7 / 2018, दिनांक 12.06.2018 द्वारा नीट यू0जी0–2018 की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं निजी निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण का शासनादेश निर्गत किया गया है।

3– उक्त शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के सुसंगत प्रस्तरों जिनका उल्लेख निम्नलिखित तालिका के कॉलम–2 में उल्लिखित है, को कॉलम 3 में अंकित प्रस्तावानुसार संशोधित / परिमार्जित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र	शासनादेश संख्या–973 / 71–4–2018–7 / 18 दिनांक 12.06.2018 के संबंधित बिन्दु, जिनमें संशोधन किया जाना है	शासनादेश संख्या–973 / 71–4–2018–7 / 18 दिनांक 12.06.2018 में यथासंशोधित व्यवस्था जिसके आधार पर प्रवेश / काउंसिलिग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
1	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित है कि डीम्ड विश्वविद्यालय की सीटों पर भी कांउसिलिंग करायी जानी है।	डीम्ड विश्वविद्यालय की सीटों पर कांउसिलिंग नही करायी जानी है।
2	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–1 तकनीकी संस्था का नामांकन में उल्लिखित है कि छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु एन0आई0सी0 को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।	एन0आई0सी0 के ई–मेल दिनांक 14.06.2018 के अनुसार स्टेट मेरिट सूची महानिदेशालय स्तर से तैयार कर एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

3	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–3 अर्हतायें के उपबिन्दु–3 व 4 में उल्लिखित है कि .... प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	प्रमाण पत्र अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा न कि प्रवेश के समय।
4	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–3 अभिलेखो का सत्यापन के उपबिन्दु–2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है और मूल निवास प्रमाण पत्र का उल्लेख नही किया गया है।	सामान्य निवास प्रमाण पत्र अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी लागू हो वह प्रस्तुत करना होगा।
5	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–6 धरोहर धनराशि में उल्लिखित है कि .... धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में एलाटमेन्ट लेटर डाउनलोड करने से पूर्व आफ लाईन बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।	सिक्योरिटी धनराशि का डी0डी0 अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। सिक्योरिटी धनराशि जमा करने वाले अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे।
6	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–6 धरोहर धनराशि के द्वितीय प्रस्तर में उल्लिखित है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की कांउसिलिंगों के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय किसी अन्य कांउसिलिंग से आंवटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि वापस कर दी जायेगी।	सिक्योरिटी धनराशि के साथ ही साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा किये गये शुल्क में से 10 प्रतिशत की धनराशि काटकर शेष धनराशि वापस की जायेगी।
7	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–10 राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आरक्षण के उपबिन्दु– क्षैतिज आरक्षण (हारिजेण्टल) में टंकित तालिका के बिन्दु–4 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के कालम में 02 प्रतिशत उल्लिखित है।	महिला अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
8	पूर्व में आयोजित होने वाली नीट/ सी0पी0एम0टी0 की कांउसिलिंगो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/ भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/ एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट आदि के प्रारूप ब्रोशर में टंकित किये जाते रहे है।	ब्रोशर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप टंकित किया जायेगा। शेष प्रमाण पत्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा।

9	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–8 में उल्लिखित है कि "रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में द्वितीय चक की कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नही होगी।"	"रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में द्वितीय चक की कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नही होगी।"

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1010 (1)/71–4–18–तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया /डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लाहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव

9	शासनादेश दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु–8 में उल्लिखित है कि "रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नही होगी।"	"रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नही होगी।"

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1010 (1)/71–4–18–तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया /डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लाहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2018/2414 दिनांक 19 जून ,2018

उपरोक्त संशोधित शासनादेश दिनांक 19.06.2018 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2. कुलसचिव, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा
3. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ
4. निदेशक, डा0 आर0एम0एल0 लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
5. निदेशक, एन0आई0सी0 लखनऊ
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक